कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 637 / 15-1 दिनांक, झांसी, अगस्त 27-2021

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र कुमार,
अधिशाषी अभियन्ता,
विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड
हाइड्रिल कालौनी, सिविल लाइन, झांसी ।

विषयः— जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाइड्रिल कालौनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उपकेन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाइन) का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य से झांसी—ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 391 वृक्षों की साख तरासी की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भः— आपके कार्यालय का पत्रांक—179/वि0मा0का0ख0/झांसी, दिनांक 06.08.2021 प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/144301/2021, दिनांक 03.07.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस कार्यालय के पत्रांक—3266/15—1, दिनांक 09.06.2021 के आधार पर अभिलेख प्रस्तुत करते समय प्रत्येक अभिलेख पर अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, मुहर दिनांक सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था परन्तु आप ऑरेजनल व फोटो स्टेट अभिलेखों के साथ पत्रावलियॉ प्रस्तुत की जिसमें आप द्वारा तीन पत्रावलियों में मूल अभिलेख के साथ प्रस्तुत करने में भी कमियों का निराकरण आप द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया तथा जो कमियॉ पायी गयी उसका विवरण निम्न प्रकार है, जिन्हें आप किसी कार्य दिवस में आकर पूर्ण कर निराकरण करें :—

1. हिन्दी पार्ट—1
2. एफ0आर0ए0/वन अधिकार अधिनियम 2006 के लिए प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि बबीना ब्लाक सेंधनी पंती आरक्षित वन के ग्रामों में अनुसूचित जनजाति व वन निवासी के अधिकार सम्बन्धी नोटशीट तैयार करने हेतु जनगणना 2001 व 2011 की रिपोर्ट प्रस्तुत करें व यह प्रमाण पत्र आप अपने कार्यालय के स्तर से प्रस्तुत करें कि क्या कोई अनुसूचित जनजाति व वनवासी के निवास से सम्बन्धित कोई दावा आदि लम्बित नहीं है या जो स्थिति हो स्पष्ट कर उल्लेख करते हुए लिखा जाए ताकि एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।
3. आप द्वारा सुकुंवा फारेस्ट ब्लाक का 2.5035 हे0 X 2 क्षेत्रफल 5.0070 हे0 का (सी0ए0 मैप) व जियो रिफ्रेन्स मैप प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया यह वनभूमि नये आरक्षित वन से प्रस्तावित है अथवा पुराना डांग सरकार से प्रस्तावित हुई है यदि नये से है तो उसका खसरा

Scanned with CamScanner

नम्बर अंकित कर दिया जाय अथवा पुराना आरक्षित वन है तो उसका बीट नं0 व कम्पार्टमेन्ट नम्बर अंकित कर दिया जाय ताकि वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार किया जा सके।

4. प्रस्ताव में प्रभावित/प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि व संरक्षित वनभूमि से सम्बन्धित ग्रामों के जिलाधिकारी कार्यालय, झांसी द्वारा जारी सर्किल रेट की सूची ।

5. आरक्षित एवं संरक्षित प्रस्ताव से प्रभावित वनभूमि की एरिया कैल्कुलेशन शीट ।

6. आप द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तुत लीनियर प्लान की एक प्रति हस्त निर्मित है जिसे जियो रिफ्रेन्स मैप पर तैयार कर प्रस्तुत की जाय एवं उसके साथ अन्य लगे संलगन शीट मात्र छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें आपके हस्ताक्षर मुहर से प्रमाणित नहीं है।

7. लोक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा प्रस्तुत एन0ओ0सी0 को भी आप द्वारा प्रमाणित किया जाय ।

8. संयुक्त जांच आख्या की प्रति प्रस्ताव के साथ छायाप्रति संलग्न है जिसे आप द्वारा मूल रूप से प्रमाणित नहीं किया गया अथवा मूल रूप से पुनः तैयार कर पाँच प्रतियों प्रस्तुत की जाये।

9. 1:50000 के स्केल पर बने मैप/टोपोशीट में विद्युत लाइन के विकल्प मार्ग पर आप द्वारा ऐसे प्रस्तुत 5 मानचित्रों पर आप द्वारा मानचित्र के नीचे खाली कागज पर हस्ताक्षर मुहुर अंकित किया है तथा निर्धारित स्थान पर जहाँ चिन्हित किये गये मानचित्र के निर्धारित स्थान पर बांयी साइड में हस्ताक्षर, मुहर नाम सहित अंकित कर संशोधन किया जाय ताकि सी0डी0 में उस पर अंकित हस्ताक्षर मुहर नाम ऑनलाइन स्पष्ट दिखायी दे सके ।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण), झांसी ।
2. अधीक्षण अभियन्ता/सी0ई0ओ0 विद्युत कार्यमण्डल, झांसी ।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, बबीना को इस आशय से प्रेषित कि सुकुंवा फारेस्ट ब्लाक बबीना से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.0070 हे0 प्रस्तावित किया है। उसमें नये रिजर्व फारेस्ट से लिया हो तो उसका गाटा सं0 दे अथवा पुराने रिजर्व फारेस्ट से लिया गया हो तो उसका बीट नं0 व कम्पार्टमेंट नं0 प्रस्तुत करें ताकि वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार किया जा सके।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

Scanned with CamScanner